

उपरोक्त फौजदारी  
काठेर पिफलीय



उरफ  
बनाम राधिकांत ठोकरा

किस्म मुकदमा

उड टा

नम्बर

१५/१७

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियस जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>17/1 19/9/17</p>	<p>19/9/17              पत्रावली पंथ हकी वरी उगाव उपदिमन ।            समान काद मामील प्राम हूँ कि शामील            पत्रावली (उप गण)            परिवादी सौ । स ह की कृपे            की दिवना की शीलेरा मजान उपदिमन            हो नु वकालत नामा पटा रडना की शामील            पत्रावली विगाडापग            परिवादी सौ ठ कावकुद हूयन उ            की उपदिमन) पीठली नदिकनी विगत ५,            पत्रावली काठे हवाग पीठली नदिकनी            उ लेनक गणउ 31/10/17 उ पंथली</p> <p style="text-align: right;">Bo  </p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीसीयल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3 $\frac{10}{17}$	<p>फ्हावली पेश हुई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 से 5 अपरियत प्रतिवादी सं. 6 वावपुद सूचना के अनुपरियत होने से एक तरफा करवाही के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने इच्छा लिमा जवाब प्रस्तुत किया जा शामिल फ्हावली किया गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 से 5 कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया जाये है।</p> <p>वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 से 5 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में बताया कि राजस्व ग्राम चक सरकठा कोपचा त. व जिला इंगरपुर के खसामे. मका 5 पुराना 6 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के आराजी नं. 209/1 रकबा 2.12 है, 208 रकबा 1.25 है एवं 210 रकबा 0.46 है। वादी का कुम्बा: <math>13\frac{1}{2} 65</math>, <math>\frac{44}{125}</math> एवं <math>\frac{2}{5}</math> है। किन्तु भूमि सदखतेहारी में राजस्व लिफ्ट बहस होने से उसे सरकारी सुबेबाबोके वंचित रहना पड़ता है एवं भूमि सदखतेहारी के मध्य शिखर में बनी रहने से पसकटों में विवाद की स्थिति बनी रहती है।</p>	

जहाँ है सब प्रतिवादीगण का अन्त खर्चे के खर्च न-162  
 में दिखाया भूताधिक जमाबन्दी संयुक्त कथम किया जाता है  
 तो कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार वकील वादी एवं वकील  
 प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने बयान में वाद पक्ष एवं इच्छा किया  
 जवाब के दायों को ही होबयान एवं वाद पक्ष अनुसार  
 छिड़ी किये जाने की सहमती जतायी।

अतः राजस्व ग्राम चक सरका कोफ्ता तह. झुंगपुर  
 केबाता नं. न-215 पुराना 6  
 जिला झुंगपुर की आरजी नं. 209/1 रकबा 2.12 हे, 2082 कबा

1.25 हे एवं 210 रकबा 0.46 हे में वादी का दिखाया हुआ  
 आरजी नं. 209/1 में  $\frac{13}{265}$ , आरजी नं. 208 में  $\frac{44}{125}$  एवं

आरजी नं. 210 में  $\frac{2}{5}$  भूताधिक राजस्व रिकॉर्ड घोषित किया  
 जाता है, जिसे धरक करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रथमके छिड़ी जायी है एवं तहसीलदार, झुंगपुर को तदनुसार  
 बंटवारा प्रस्ताव तैयार का पेश करने हेतु सिखा जावे।

प्राप्तवादी वाले बर्तनजार बंटवारा प्रस्ताव दिनांक  
 10/10/17 को पेश है।

  
 SDO

10/10/17 फाकरी पेश हुई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं.  
 1 से 5 उपस्थित। तहसीलदार झुंगपुर द्वारा बंटवारा प्रस्ताव  
 पेश जो शामिल फाकरी किया गया। वकील वादी एवं  
 वकील प्रतिवादी सं. 1 से 5 से बंटवारा प्रस्ताव का  
 अवलोकन किया गया, उन्होंने बंटवारा प्रस्ताव से सहमती  
 जतायी की।

पुपना 6 अमावसी संवत् 2070-73 के खजरा  
 नं. 209/1, रकबा 2.12 हे, खजरा नं. 208 रकबा  
 1.25 हे एवं 210 रकबा 0.46 हे में बाढ़ी का  
 कुम्भः  $\frac{13}{265}$ ,  $\frac{54}{125}$  एवं  $\frac{2}{5}$  डिब्बा मुताबिक  
 राजस्व रिकॉर्ड हैं। भूमि सहायतादायी में राजस्व  
 रिकॉर्ड में दर्ज होने से उसे सरकारी सुविधाओं से  
 वंचित रहना पड़ता है एवं सहायतादायी के मध्य  
 विवाद की स्थिति बनी रहती है। इससे भूमि का  
 ह्यक कानूनी अंतरा कखाना बाध है।

वाद पूर्व रजिस्टर कर प्रतिवादी को <sup>करना</sup> मापन जारी  
 किये जाने पर प्रतिवादी गण 1 से 5 की ओर से  
 इकठ्ठा किया जाकर प्रत्युत किया गया एवं प्रतिवादी  
 6 बावजूद भुचन के अनुरोध से उसे से एक पक्षीय  
 कार्यवाही अमल में लानी गई। वकील बाढ़ी एवं वकील  
 प्रतिवादी एवं 1 से 5 ने बयान में वाद पर अनुरा इच्छी  
 किये जाने की सहमती जतायी। इस पर राजस्व सहाय  
 तक सरकारी कोष का खरा नं. 209/1 पुपना 6 के  
 आयजी नं. 209/1, रकबा 2.12 हे, 208 रकबा 1.25 हे एवं  
 210 रकबा 0.46 हे में बाढ़ी का डिब्बा कुम्भः  $\frac{13}{265}$ ,  
 $\frac{54}{125}$  एवं  $\frac{2}{5}$  मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड घोषित कर एक  
 कले की प्रथमिक डिब्बी जारी कर वहीलदार, इंगरफ  
 को वहीलदार बखाल प्रभाव दिया कर पेश कले

हैं, लिखा गया।

ऊपर निर्दिष्ट की जायगा मे तहसीलदार, इंगटपुर से बखारा प्रस्ताव शाप्ट हुआ जिसका अप्लोका फकील वादी सब वकील प्रतिवादी स 145 को कबचा गया सब जिल पर उभय पक्ष लक्ष्य हैं।

अतः वादी का वाद खीकार करते हुए आदेश दिये जाते हैं कि राजलव ग्राम चक लखठा कोषचा के खसत नं. नया 5 पुराना 6 के खसत नम्बरों में वादी एवं प्रतिवादी गण का हिसाब बखारा प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शा देख अनुसार निम्नानुसार रहेगा -

खसत नं.	कबचा	लगान	वादी का हिसाब	प्रतिवादी गण का हिसाब
209	2.12	0.64	श्री गणेश पिक सिटी दोली डे रिपोर्ट प्रा. लि. डा. प्रोक्टर खीव सिंह राजपुरोहित प्रा. मेरी सिंह राजपुरोहित प्रा. मकान नं 16 सेवक 6 जे की हाथी मल अबापुरा	प्रतिवादी गण का हिसाब दिना वि. शशीकंठ 45 2020 - मधुल सिंहावनजी परिवार सा. दयादि अपरा अफ अमलमल प्रा. कचरा पेटल सा. गामडी अड्डा 1170 2020 राम निवाल पुनिया पि. सुधी सिंह पुनिया प्रदेश कुमार पिता शागीर मल चौधरी जदीप कुमार पि. जगदीर प्रजाद सा. बालाजी करमचम अंजनी आरथी ओ. ओ. मल के पक्ष तीजव इंगटपुर 425 2020
			कबचा 0.10 ई	लगान 0.02
				कबचा 2.02 ई
				लगान 0.61
208	1.25	0.30	श्री गणेश पिक सिटी दोली डे रिपोर्ट प्रा. लि. प्रोक्टर खीव सिंह	दिना वि. शशीकंठ 25 81 मधुल सिंहावनजी परिवार सा. दयादि अपरा अफ अमलमल प्रा. कचरा पेटल सा. गामडी

210 0.46 हे 0.14 श्री जगिषा देवी डे  
 रिजर्व म. लि अर्धवेत  
 खीव लिट राजपुरोहित  
 वि. भोती लिट राजपुरोहित  
 वि. भकान न. 16 लेक  
 6, जेमी धरणीटल, अंधपुर

रकबा लगान  
 0.18 हे 0.05

दिना वि. शशीकांत 1/3 नाथुसल  
 पिता रत्नजी पयोहार आ.  
 द्याई अग्रय अर्धवेतल  
 विना ककरा पेटेल एम. गणधी  
 अहडा 1/3, रामनिवाल पुनिया  
 पिा धुडीलेट पुनिया भदेशकुमार  
 वि. भणकिधमल चौ. धुडी लेडीप  
 कुमार् वि. जगदीश प्रसाद आ.  
 बालमी कंलद्रशन कम्पनी  
 आर टी ओ. अंमेल केपल  
 सेजक इगाटपुर

रकबा लगान  
 0.28 हे 0.09

अर्धवेतानुजा। अन्धिम डिडी जाती की जते।  
 बंधनर खीम एवं यंलग्न काव्या ड्रेल निगि का  
 अंधिन एवं आवश्यक भण। रहेगा। वाणिज का  
 अर्धवेतानुजा। एक रकबा कायम करने एवं तदनुसार  
 तर्पित करने हेतु तदधीबहार, इगाटपुर को लेखा जर्ने।

निगिम आज दिनांक 10/10/17 को खुले - बाजार में  
 कुमाय गवा। पहाकनी कैरल शुमार दोकर - धर  
 लेकन की जाकर हाखिल बफत हो।

M.P.  
 10/10/17  
 10/10/17

210